

आवश्यक

राजस्थान सरकार  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/39/वीएस/डीईएस/2013/1|34381|2015


दिनांक: 3-7-2015

परिपत्र

प्रायः देखा गया है कि जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन /संशोधन एवं जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि संशोधन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन मांगा जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 में नाम परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 तथा तत्सम्बन्धी राज्य नियम, 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर यदि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) उससे सन्तुष्ट है तब वह पहले से पंजीकृत घटना के विवरण में संशोधन कर सकता है तथा यह सुनिश्चित हो जाए कि सम्बन्धित रजिस्टर में कोई प्रविष्टि सारतः या प्ररूपतः गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है। फिर भी इस सम्बन्ध में भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त मार्गदर्शन की और आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि पहले से दर्ज की गई जन्म अथवा मृत्यु की किसी घटना में किसी व्यक्ति के नाम के पश्चात 'उर्फ' लगाने के सम्बन्ध में कहा गया है कि यदि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये साक्ष्य से एवं इस बात से सन्तुष्ट हो कि सम्बन्धित प्रविष्टि अनुचित रूप से की गई तब मूल नाम के साथ 'उर्फ' लगाकर संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि जन्म प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में तिथि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तथा बालक/बालिका की अंकतालिका को जन्म प्रमाण पत्र में तिथि परिवर्तन के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।

यह भी देखने में आया है कि कुछ जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) द्वारा आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने एवं स्वअधिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन मांगा जा रहा है जबकि उपर्युक्त दोनों विषयों पर इस निदेशालय के पत्र क्रमांक क्रमशः एफ13/1/12/वीएस/डीईएस/2014/3926 दिनांक 23.01.2015 एवं क्रमांक एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/2014/744 दिनांक 07.01.2015 के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश परिपत्र के माध्यम से जारी किये गये हैं, जो कि 'पहचान' वेबपोर्टल पर भी उपलब्ध है तथा भविष्य में भी जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सम्बन्धित मार्गदर्शन/परिपत्र 'पहचान' वेबपोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।

अतः राज्य के समस्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को निर्देशित किया जाता है कि रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) से प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तारण उपरोक्तानुसार करेंगे तथा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रावधानों के अन्तर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का कार्य सम्पादित करते हुए इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

  
(ओम प्रकाश बैस्वा)  
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव